



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23032022-234400
CG-DL-E-23032022-234400

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1232]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 23, 2022/चैत्र 2, 1944

No. 1232]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 23, 2022/CHAITRA 2, 1944

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 मार्च, 2022

का.आ. 1273(अ).—केन्द्रीय सरकार, निर्यात (गुणवत्ता नियंत्रण एवं निरीक्षण) नियम 1964 का नियम -3 के साथ पठित निर्यात (गुणवत्ता नियंत्रण एवं निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा-3 में प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (वाणिज्य विभाग), भारत सरकार की दिनांक 6 जुलाई, 2020 की अधिसूचना संख्या.का.आ. 2230(अ) में एतद्वारा निम्नानुसार संशोधन करती है, अर्थात :-

उक्त अधिसूचना में, क्रम संख्या 1 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामत :-

क्रम संख्या	नाम और पदनाम
(1)	(2)
1.	श्री अमित यादव, अपर सचिव, वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, नई दिल्ली
	अध्यक्ष

[फा. सं. के-16012/45/2017-निर्यात निरीक्षण]

दिवाकर नाथ मिसरा, संयुक्त सचिव

नोट: मूल अधिसूचना दिनांक 6 जुलाई, 2020 की अधिसूचना संख्या का.आ. 2230(अ) के तहत प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd March, 2022

S.O. 1273(E).—In exercise of the powers under Section 3 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963) read with rule 3 of the Export (Quality Control and Inspection) Rules, 1964, the Central Government hereby makes the following amendment in the Notification of the Government of India, Ministry of Commerce and Industry, (Department of Commerce) number S.O. 2230(E) dated the 6th July, 2020 namely: -

In the said Notification, for serial number 1 and entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely: -

Serial Number	Name and Designation	
(1)	(2)	
1.	Shri Amit Yadav, Additional Secretary Department of Commerce, Ministry of Commerce and Industry, New Delhi.	Chairman

[F. No. K-16012 /45/2017-Export Inspection]

DIWAKAR NATH MISRA, Jt. Secy.

Note : The principal notification was published *vide* notification number 2230(E) dated the 6th July, 2020.